छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 895/2007</u>

कु. प्रतिभा तिवारी,
संविदा शिक्षक वर्ग–1,
राजनीति विज्ञान,
एम.आई.जी. 19, शिवाजी नगर,
कोरबा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, कोरबा, (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 07 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी कु. प्रतिभा तिवारी ने दिनांक 21–03–2007 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कोरबा को जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् उन्होंने प्रथम अपील कलेक्टर, कोरबा को प्रस्तुत की और आयोग को अपील भेजी गई। तब आयोग से उन्हें दिनांक 12–07–2007 को यह लिखा गया कि सही अधिकारी के समक्ष अपील करें। तब उन्होंने सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को अपील दिनांक 28–07–2007 को भेजी। किन्तु वहां निर्णय प्राप्त नहीं होने पर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील दिनांक 28–09–2007 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय–पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी ने संविदा शिक्षक वर्ग–1 की भरती के समय स्थानीय बोली में आवेदकों को दिये गये अंकों की प्रमाणित प्रति चाही थी। दिनांक 20–04–2007 को अपीलार्थी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने यह उत्तर दिया कि उनके द्वारा चाही गई जानकारी (भरती से संबंधित दस्तावेज) गोपनीय अभिलेख में आता है। अतः उसका अवलोकन कराया जा सकता है, किन्तु अभिलेख की प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि जो विज्ञापन दिया गया था और उसकी जो समय–सारिणी जारी की गई थी, उसमें दिये गये प्राप्तांकों का प्रकाशन कराने का भी उल्लेख है। अतः जब प्रकाशन हो सकता है तब गोपनीयता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसी प्रकार जब जानकारी का अवलोकन कराया जा सकता है तो फिर प्रमाणित प्रति दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अतः अब निर्देश दिये जाते हैं कि चाही गई जानकारी अपीलार्थी को 15 दिन में निःशुल्क प्रदान कर दी जावे। साथ ही चूँकि कोई दुर्भावना नहीं है, अतः शास्ति की आवश्यकता नहीं है। किन्तु विलम्ब के कारण हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिये

अपीलार्थी को जिला पंचायत, कोरबा की ओर से 300/–रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त